UPKR010018992026

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, कासगंज।

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या–146/2026

राजू

बनाम

राज्य आदि।

27–06–2026

1–पत्रावली पेश हुई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र 4अ पर सुना।

2–आवेदक की ओर से स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 4अ इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी उपरोक्त मुकदमा का वादी है। मुकदमा उपरोक्त पूर्व में श्रीमान स्पेशल जज एस०सी० एस०टी० एक्ट के न्यायालय में विचाराधीन था जो कि दिनांक 18.4.2025 को श्रीमान ए०एस०जे०/एफ०टी०सी०–2 के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। उक्त मुकदमा का क्रॉस केस अ० संख्या–251/2017 सत्र परीक्षण सं० 217/2017 धारा 304,323,504,506 आई०पी०सी० राज्य बनाम उभन सिंह उर्फ उमन सिंह थाना सोरों जनपद कासगंज जिसमें प्रार्थी अभियुक्त है। उक्त केस उक्त मुकदमा के साथ–साथ विचरण हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर सी०जे०एम० कासगंज ने दिनांक 02.09.2025 को सेशन सुपुर्द कर दिया। उक्त क्रॉस केस के सेशन सुपुर्द किए जाने के आदेश दिनांक 02.09.2025 के विरुद्ध विपक्षी/अभियुक्त भूरे द्वारा न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की कि उक्त मुकदमा क्रॉस केस नहीं है और सेशन सुपुर्द किये जाने का गलत आदेश पारित किया है। उक्त निगरानी संख्या 178/25 भूरे बनाम राज्य न्यायालय स्पेशल जज एस०सी० एस०टी० द्वारा सुनवाई किए जाने के बाद दिनांक 24.3.2026 को निरस्त कर दी गई। उक्त दोनों मुकदमों का विचारण साथ–साथ चल रहा था इसी दौरान उक्त पत्रावलियां न्यायालय ए०एस०जे०/एफ०टी०सी० द्वितीय के न्यायालय में स्थानांतरित कर दी गई। उक्त पत्रावली में नियत दिनांक पर प्रार्थी अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में पुकार पर उपस्थित हुआ तथा विचारण न्यायालय को उक्त दोनों मुकदमों के बारे में अवगत कराया। न्यायालय एफ०टी०सी० द्वितीय ने दोनों मुकदमों को एक दूसरे का क्रॉस केस मानने से इनकार कर दिया और मुकदमों को अलग कर दिया। उक्त क्रोस केस राज्य बना भूरे सिंह आदि के अभियुक्त भूरे द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी भी न्यायालय द्वारा कर दी गई क्रॉस केस के तथा कथित आपत्ति को निगरानी में निर्णित किया जा चुका है। उक्त मुकदमा में नितय दिनांक 28.04.2026 को न्यायालय एफ०टी०सी० द्वितीय के पीठासीन द्वारा हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र को लेकर प्रार्थी के अधिवक्ता व प्रार्थी के साथ काफी अभद्र व्यवहार किया काफी अपमानित शब्द कहते हुए धमकी दी और अनुचित व्यवहार किया विचारण न्यायालय

Digitally signed by RAMESHWAR
Date: 2026.06.27 17:50:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

ने प्रार्थी के अधिवक्ता के साथ अभद्र एवं अपमानित व्यवहार के साथ–साथ जबरन बहस किए जाने का दबाव बनाया। प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता न्यायालय ए०एस०जे०/एफ०टी०सी० द्वितीय के द्वारा किए गए अभद्र एवं अपमानजनक व्यवहार से काफी व्यथित एवं अपमानित महसूस कर रहे हैं तथा न्यायालय ए०एस०जे०/एफ०टी०सी० द्वितीय के व्यवहार से प्रार्थी को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रार्थी की उक्त पत्रावली न्यायालय ए०एस०जे०/एफ०टी०सी० द्वितीय, कासगंज के न्यायालय से विचारण हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त आधारों पर पत्रावली न्यायालय ए०एस०जे०/एफ०टी०सी० द्वितीय कासगंज के न्यायालय से स्थानांतरित की जाकर विचारण हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय में भेजे जाने की याचना की गयी है।

3– न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (त्वरित न्यायालय) कक्ष सं०–2 कासगंज से प्राप्त आख्यानुसार प्रार्थी/अभियुक्त राजू द्वारा अंतर्गत धारा–448 बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत टी०ए० प्रार्थना–पत्र दिनांकित 19.05. 2026 के बाबत इस न्यायालय द्वारा मांगी गयी आख्या निम्नवत् है:–उपरोक्त वर्णित सेशन केस नं0–893/2025, उ०प्र० राज्य बनाम् नहार सिंह उर्फ भूरे आदि, मु0अ0सं0–250/2017, अंतर्गत धारा–323, 325 भा०दं०सं०, थाना–सोरों, जनपद–कासगंज की पत्रावली माननीय महोदय द्वारा पारित आदेश दिनॉकित के अनुपालन न्यायालय–विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी० एक्ट, कासगंज के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुई है, जो कि साक्ष्य हेतु दिनाँक 28.04.2026 को इस न्यायालय में प्रथम तिथि नियत थी। दिनाँक 28.04.2026 को इस न्यायालय में प्रथम नियत तिथि पर पेश हुई। अभि० का हाजिरी माफी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत, स्वीकृत। साक्षी जरिए समन तलब हो। वास्ते साक्ष्य दिनांक 30.05.2026 को पेश होने का कथन आदेश–पत्र में अंकित है। माननीय महोदय, सुलभ संदर्भ हेतु उक्त आदेश–पत्र की छायाप्रति इस आख्या के साथ संलग्न है। उक्त टी०ए० प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह उल्लिखित किये जाने का प्रश्न है, कि उपरोक्त प्रकरण में नियत दिनॉक 28.04.2026 को इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हाजिरी माफी के प्रार्थना–पत्र को लेकर प्रार्थी के अधिवक्ता व प्रार्थी के साथ काफी अभद्र व्यवहार किया, काफी अपमानित करते हुए धमकी देने आदि के कथन किये गये हैं, उपरोक्त लगाये गये समस्त आक्षेप सरासर गलत, मिथ्या, आधारहीन तथा किसी दुर्भावना से ग्रसित होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होते हैं। यदि उपरोक्त पत्रावली इस न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में अंतरित की जाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

4– पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वर्तमान मामले में आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध अभद्र व्यवहार एवं अनुचित दबाव बनाने के आरोप लगाये गये हैं, किन्तु उक्त आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र साक्ष्य, दस्तावेज अथवा अन्य विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत नहीं की गयी है। केवल आरोप के आधार पर न्यायालय के प्रति पक्षपात अथवा निष्पक्ष विचारण की संभावना समाप्त नहीं मानी जा सकती। जहां तक क्रॉस केस के विवाद का प्रश्न है, अभिलेख से स्पष्ट है कि उक्त विषय पर संबंधित न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है तथा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी भी निरस्त हो चुकी है। किसी विधिक प्रश्न

पर न्यायालय द्वारा एक दृष्टिकोण अपनाया जाना अथवा किसी प्रार्थना पत्र को स्वीकार/अस्वीकार किया जाना मात्र स्थानान्तरण का आधार नहीं हो सकता। यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) कक्ष सं०-2 द्वारा अपनी आख्या में यह नहीं कहा गया है कि आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जायेगा अथवा न्यायालय निष्पक्ष रूप से कार्य करने में असमर्थ है। इसके विपरीत पत्रावली पर की गयी कार्यवाही से यह परिलक्षित होता है कि न्यायालय द्वारा नियमित न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की गयी। न्यायालय यह भी पाता है कि आवेदक की ओर से व्यक्त की गयी आशंका मुख्यतः न्यायालय द्वारा क्रॉस केस के संबंध में लिये गये निर्णय तथा दिनांक 28.04.2026 की कार्यवाही से संबंधित है। केवल ऐसी परिस्थितियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि आवेदक को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्त नहीं हो सकेगा।

अतः उपलब्ध अभिलेखों एवं परिस्थितियों के समग्र परीक्षण से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदक द्वारा स्थानान्तरण हेतु कोई ऐसा ठोस एवं विश्वसनीय आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे न्यायहित में पत्रावली को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक प्रतीत हो।

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र सं० 4अ निरस्त किया जाता है। विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह पत्रावली का विचारण विधि के अनुसार निष्पक्ष रूप से एवं अनावश्यक विलम्ब किये बिना सम्पन्न करे। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(रामेश्वर)
जनपद न्यायाधीश,
कासगंज।
आई.डी.नम्बर यू.पी.6537

Steno–Himanshu Kumar